प्रेषक,

उपनिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

श्री जितेन्द्र सिंह
पुत्र श्री आन सिंह,
निवासी ग्राम खुपीताल,
खुरपंखा जनपद नैनीताल।

संख्याः 2488 /उ0ख0/मा0प्लान/उ0सिं0न0/2018–19 दिनांक 08 फरवरी, 2019

विषयः– श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह निवासी ग्राम खुपीताल, खुरपंखा जनपद नैनीताल के पक्ष में आशय पत्र पर स्वीकृत क्षेत्र जनपद उधमसिंह नगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी क्षेत्रफल 6.00 है0 भूमि में आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षत्रान्तर्गत कुल रकवा 6.00 है0 (सीमाबंधित खसरा संख्या 55मि, 70मि, 69मि, 65मि मध्ये रकवा 6.00 है0) भूमि जोकि ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आपके पक्ष में घोषित एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1926/VII-1/18/02(74)/2018 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्डर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र **(Letter of Intent)** पर आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जो कि आर0क्यू0पी0 श्री रविन्द्र सिंह परमार मु0ख0/आर0क्यू0पी0/डी0डी0एन0/2016 के द्वारा तैयार की गयी है, अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम–34 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली 2017 के नियम–28 क (7) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:–

<u>शर्तें:–</u>

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन नियमावली के नियम–28 "क" (18) के अनुसार आशयपत्रधारक के पक्ष में शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने पर तत्समय शासनादेश में वर्णित अवधि या 05 वर्ष जो भी पहले हो, तक के लिये वैध होगा।
2. आशयपत्र धारक द्वारा सक्षम स्तर से प्रश्नगत खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तदनुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल माइनिंग विधि से बिना ब्लास्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में आर0एल0 229.0 मी0 से 227.5 मी0 तक 198200.00 टन, द्वितीय वर्ष में आर0एल0 229.0 मी0 से 227.5 मी0 तक 198200.00 टन, तृतीय वर्ष में आर0एल0 229.0 मी0 से 227.5 मी0 तक 198200.00 टन, चतुर्थ वर्ष में आर0एल0 229.0 मी0 से 227.5 मी0 तक 198200.00 टन एवं पंचम वर्ष में आर0एल0 229.0 मी0 से 227.5 मी0 तक 198200.00 टन उपखनिज का खनन किया जायेगा।
4. खनन योजना का अनुमोदन प्रेस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में शासन के द्वारा जारी आशय पत्र संख्या 1926/VII-1/18/02(74)/2018 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के **सीमाबन्धन के उपराप्त सीमाबन्धित क्षेत्र में प्राप्त खसरा संख्याओं में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति के अधीन किया जा रहा है, उक्तानुसार शासन से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त न होने की दशा में खनन योजना का अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।**
5. पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1926/VII-1/18/02(74)/2018 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्डर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।

6. पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त पट्टाधरक द्वारा पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश एवं पट्टाविलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली 2017 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।
8. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा।
9. पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) एवं अनुमोदित खनन योजना मे दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
10. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज की निकासी किये जाने से पूर्व उत्तरखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एंव Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य/अनिवार्य होगा।
11. प्रश्नगत खनन पट्टाक्षेत्र के नेशनल पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में पट्टाधारक द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाईफ से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
12. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
13. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होंगे।
14. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
15. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
16. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व आवेदक का होगा।
17. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
18. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने पर, आवेदक के विरूद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
19. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेंगे।

संलग्नकः– खन्न योजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्याः /उ0ख0/मा0प्लान/उधमसिंहनगर/2018–19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, खनन उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. सदस्य सचिव राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**)।
4. सदस्य सचिव जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**DEIAA**) उधमसिंहनगर।
5. जिला खान अधिकारी, उधमसिंहनगर।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक